

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
शक द्वारा भेजे जाते हैं।
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-१, ५
पृ. ५-०४ भोपाल-०३-०५.

पंजी क्रमांक भोपाल द्वितीय
पृ. १०१ भोपाल-०३-०५.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 सितम्बर 2005—भाद्र 14, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2005

क्र. 5459-295-इकोस-अ(प्र.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 25 अगस्त, 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा संवैधानिक प्रकाशन की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,
विनोद भारद्वाज, अग्रा सचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २००५

मध्यप्रदेश उपकर (संग्रोधन) अधिनियम, २००५

[दिनांक 25 अगस्त, 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अथवा "मध्यप्रदेश उपकर (संग्रोधन)" से दिनांक ५ सितम्बर, 2005 को प्रथमका प्रकाशन की गई।]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संग्रोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उगमने वर्ष में मध्यप्रदेश विधान सभल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमिता ही —

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संग्रोधन) अधिनियम, २००५ है।

संक्षिप्त नाम तथा
प्राप्ति।

(२) यह १ जून, २००५ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 3 का संशोधन 2. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक में, खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“(तौन) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल को बेची या प्रदान की गई हो;

(ख) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर और मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को बेची या प्रदान की गई हो.”

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2005

क्र. 3460-295-इश्रीम-अ (प्र.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से अध्यादेश प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद भारद्वाज, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH GOVT
No. 24 of 2005.

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005.

[Received the assent of the Governor on the 25th August, 2005, assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 5th September, 2005.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 2005.

Amendment of Section 3.

2. In the proviso to sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), after clause (ii), the following clause shall be added, namely:—

- (iii) (a) sold or supplied to the Madhya Pradesh State Electricity Board by the Madhya Pradesh Power Generating Company Limited, Jabalpur, registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956);
(b) sold or supplied to the Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Bhopal, the Madhya Pradesh Pashchim Kshetra Vidyut Vitran Company Limited Indore and the Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Jabalpur by the Madhya Pradesh State Electricity Board.”